तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/1/26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में मफीद तनकी 6 (क) कायम की गई। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

मस्जिद विसायतियान वाके हिण्डौन दरवाजा बाहर कस्बा करौली जिला स.माधोपुर जरिये–
1– सदर हाजी रूकसार अहमद – पुत्र हाजी बाबू भाई
2– सचिव अब्दुला तलीम वल्द– अ.रहीम
3– कैसियर अशफाक अहमद वल्द गुलाम रसूल जाति मुसलमान नि0करौली राज0 ——वादी

बनाम

1– जफरू पुत्र समसुदीन उर्फ सम्मा
2– छोटे पुत्र भोलू
3– जहूरन बेवा कुल्लड
3/1–शतबुददीन
3/2–शहनाज
3/3–जीनत
3/4–सलमा
(3/1 से 3/4) पुत्र पुत्री मुन्ना जाति मुसलमान नि0 हिण्डौन गेट के पास
4– अब्दुल कलाम
5– जाहिद अहमद
6– वाहिद अहमद
(4 से 6) पिसरान कयूम खां
7–फारूक अहमद मुस0 अ.करीम
8–कयाम खां मुस0 अहमद खां
9– तहसीलदार साहब तह0 करौली जिला करौली ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक व बेदखली

मुकदमा नं. 119/02

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री रामजीलाल अग्रवाल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री दिनेश बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/1/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अ[illegible]		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी करौली

मु0न0:–119/02 तारीख रजु:–17.06.02

उनवान

मस्जिद विसायतियान वाके हिण्डौन दरवाजा बाहर कस्बा करौली जिला स.माधोपुर जरिये–

1– सदर हाजी रूकसार अहमद – पुत्र हाजी बाबू भाई

2– सचिव अब्दुला तलीम वल्द– अ.रहीम

3– कैसियर अशफाक अहमद वल्द गुलाम रसूल जाति मुसलमान नि0करौली राज0 ——वादी

बनाम

1– जफरू पुत्र समसुदीन उर्फ सम्मा

2– छोटे पुत्र भोलू

3– जहूरन बेवा कुल्लड

3/1–शतबुददीन
3/2–शहनाज
3/3–जीनत
3/4–सलमा
} पुत्र पुत्री मुन्ना जाति मुसलमान नि0 हिण्डौन गेट के पास

4– अब्दुल कलाम
5– जाहिद अहमद
6– वाहिद अहमद
} पिसरान कययूम खां

7–फारूक अहमद मुस0 अ.करीम

8–कयाम खां मुस0 अहमद खां

9– तहसीलदार साहब तह0 करौली जिला करौली ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक व बेदखली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

–::निर्णय::– दिनांक

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि कस्बा करौली में हिण्डौन दरवाजे बाहर दो वीघा 15 विस्वा जमीन मस्जिद विसायतियान को करौली रिसासत के जमाने में राज सरकार से

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

माफी मे मिली थी जिसका साविक खसरा नं0 3872 है। उक्त जमीन में से 5 विश्वा जमीन में मस्जिद व दीगर रिहायशी मकानियात व दुकानात चाह व मजार बना लिये गये वाकी जमीन मस्जिद की ओर से काश्त होती रही। मौजूदा सेटलमेंट में उक्त साविक खसरा नम्बर 3872 के चार खसरा नम्बर हो गये मस्जिद व मकानियत दुकानात खन्डहरा को ख0न0 4967 रकवा 3 विस्वा गैर मु0 आबादी खसरा नं0 4968 गैर मु0 चाह रकवा 1 विस्वा, खसरा नं0 4969 मजार (बारह खम्भा) रकवा 1 विस्वा तथा वाकी काश्ता जमीन का खसर नम्बर 4970 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा तब्दील हो गये। तभी से खसरा नं0 4967 गैर मु0 आबादी में मस्जिद विसायतियान व दीगर मकानियत व दुकान स्थित है तथा खसरा नम्बर 4968 मस्जिद की खातेदारी का चाह है व खसरा नं0 4969 में मजार (बारह खम्भा) स्थित है। उपरोक्त आबादी की जमीन व चाह से लगी हुई खसरा नं0 4970 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा काश्ता जमीन वादी की माफी की है तथा सन् 1963 में माफी रिज्यूम हो जाने के पश्चात् वादी इस भूमि के खातेदार काश्तकार हैव काविज है। प्रतिवादीगण का उक्त खसरा नं0 4970 के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का कोई हक नही है प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के पुरखा व धम्बल ने कौम से विसायति होने से इस भूमि के संबंध में सेटलमेंट विभाग से मिलके मौजूदा सेटलमेंट में कागजात पटवार में अपना नाम गलत दर्ज करा लिया और विलो अधिकार के ता0 16/5/74 वाद पत्र के साथ संलग्न नकशे में अ,ब,स,द से आंकित इस ख0न0 4970 की भाग की जमीन प्रतिवादी नं0 4 लगायत 8 के पक्ष में व्यय करके बयनामा रजिस्ट्री करा दिया जो नल एण्ड वोइड है। प्रतिवादी नं0 4 लगायत 8 ने उक्त अ,ब,स,द, जमीन मे से कुछ हिस्से में [illegible] विला अधिकार लकडी की आरा मशीन [illegible] 15/7/79 को वादी द्वारा हटाने की कहने पर प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 8 इस अ,ब,स,द भूमि पर अपना हक व कब्जा बताने लग पडे हे तब कागजात पटवार देखने पर व नकल वयनामा लेने पर प्रतिवादीगण की कारसाजी का इल्म हुआ है। इस से हकूक वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

पर विपरीत असर पड रहा है। इसलिये वादी उक्त खसरा नं0 4970 में से अ,ब,स,द भाग पर अपनी खातेदारी घोषित कराने व बेदखल कराने के अधिकारी है और आवश्यक दुरूस्ती कागजात पटवार में कराने के अधिकारी है। विनाय दावा ता0 15/7/79 को अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुआ दावा अन्दर मियाद है व काबिल समाअत अदालत हाजा है। खसरा नं0 4970 के वाकी भाग पर धम्बल ने दीगर व्यक्तियों को अनाधिकार वय करना मालूम हुंआ है जिसका अलग से दावा लाया जा रहा है। खसरा नं0 4970 रकवा वीघा 10 बिस्वा के स्थान पर सेटलमेंट के बाद कागजात पटवार में अनाधिकार खसरा नं0 4970/1 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा कर दिया है जो काबिल दुरूस्ती है। मस्जिद विसायतियान एवं उसकी सभी चल व अचल सम्पत्ति वक्फ और इसके बारे में मस्जिद की ओर से दावा करने का अधिकार सक्षम अधिकारी द्वारा वादी अब्दुल हमीद को किया है। वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में खसरा नं0 4970 (अथवा मौजूदा कागजात पटवार के अनुसार ख0 न0 4970/1) के निस्फ भाग की भूमि (जो वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ,ब,स,द, से अंकित है) पर हकूक खातेदारी वादी घोषित की जावे तथा प्रतिवादी नं0 4 लगायत 8 को बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावे कागजात पटवार में घोषणा के अनुसार दुरूस्ती कराई जावे। दीगर दादरसी जो वगर्ज इन्साफ आवश्यक हो मय खर्चा दिलाई जावे। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया [illegible] व 4 ता 8 ने उपस्थित होकर जबाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण 1 ता 3 ही आराजी मुतदाविया के खातेदार [illegible] आराजी मुतदाविया कभी भी माफी मस्जिद पंच विसायतिया[illegible] नही रही। विनाय दावा खिलाफ प्रतिवादी पैदा नही होती है। अब्दुल हमीद, खां को दायरी दावे का हक हासिल नही है। अब्दुल हमीद खां0 को दायरी दावे का हक हासिल नही है। दावा वादी काजि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

इखराज है और वादी कोई भी दादरसी पाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादीया नं0 3 कानूनी रूप से आराजी मुतदावयिा की खातेदारी थी और उसे अपनी जमीन को वेचान करने कर कानूनी अधिकार थी प्रतिवादीया मुस्त को इस दावे में गैरआराजी फरीक मुकदमा बनाया गया है। खसरा नं0 4970 न तो माफी थी न मस्जिद का उपरोक्त आराजी मे हक है वल्कि प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 माफी जप्त होने से पूर्व हो खातेदार काविज चले आ रहे है प्रतिवादी नं0 4 व 8 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 18/5/74 को प्रतिवादी नं0 1 ता 3 से उकत आराजी का 1/2 हिस्सा खरीदा है और यौम खरीद से वहैसियत खातेदार काश्त कार प्रतिवादी नं0 4 व 8 काविज चले आ रहे है। वादी को कोई विनाय मुखासमत खिलाफ प्रतिवादीगण पेदा नहीं होती है। प्रतिवादीगण के नाम खाता कायम किया गया है वह विल्कुल सही हुआ है और उसको दुरूस्ती को कोई आवश्यकता नही है। अब्दुल हमीद खां की दायरी दावे का कोई भी हक हासिल नही है। दावा वादी काविल इखराज है और वादी कोई भी दादरसी पाने का हकदार नही है। आराजीयात मुतदाविया खसरा नं0 4970 न तो वादी के खाते को दे न वादी को माफी को था बल्कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व धम्बल के मौके कब्जा काश्त को चलो आ रही है। आराजी मुतदाविया ना तो वकफ बोर्ड में दर्ज न मस्जिद को होना किसी सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ है बल्कि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 को खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी अब प्रतिवादी नं0 4 व 8 वहैसियत खतेदार काश्तकार काविज चले आ रहे है। आराजी खसरा नं0 4966 वन्दोवस्त हाल जिसका साविका नं0 3871 था उसमें मस्जिद व हुआ व सराय व दुकान एवं मकान पंच विसायतियान बने हुए है आराजी मुतदाविया खसरा नं0 [illegible] मस्जिद का कोई भी ताल्लुक नही है। [illegible] मस्जिद का सेकडों सालों से आज तक कभी कोई कब्जा नहीं रहा बल्कि 4970 खसरा न0 के बारे में पहले भी मस्जिद को ओर से मुकदमें चला था। जिसका फैंसला मस्जिद के खिलाफ फरमाया गया जिसको 12 साल का अर्सा हो गया है ऐसी सूरत में रेस जुडोकेटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

आरिज है। प्रतिवादीगण 4 ता 8 बोनाफाईड परचेजर है ऐसीसूरत में वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई दादरसी पाने का अधिकारी नही थे। वादी ने वक्फ बोर्ड को ना तो दावा दायरी से पूर्व कोई नोटिस दिया न कोई इजाजत ना हो वकफ बोर्ड ने दावा पेश करने को कोई स्वीकृति दी हैं। असलियत में दावा दस्तावेज दिनांक 18/5/74 के खारिज कराने के सबंध में है और उसकी खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय की है ऐसी सूरत में अदालत हाजा को दावा हाजा सुनने का कोई हक हासिल नही है। अंत दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया है। **प्रतिवादी नंबर 3/1 ता 3/4 द्वारा जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया है कि** हम प्रतिवादीगण शाहबुंदीन वगैरहा जात से बिसायती है तथा ने भूमि हमारे नाना कुल्लड की रही है। राज्य सरकार से कोई माफी नही मिली है। अर्जी दावे का मद नंबर 2 में मस्जिद व दीगर रिहायशी मकानियत, दुकाने मजार, चाह कुआ होना सही है वे सभी हमारें रहे है तथा मजारात भी हमारे बुजुगों को रही है। अर्जी दावा का मद नंबर 6 में जो हाल लिखी है वा वादीगण ने अपनी मन मर्जी से लिखी है। तथा इसमें हम प्रतिवादीगण शाहबुददीन वगैरहा को अलग रखा गया है। तथा हमारा जिकर भी नही किया गया है। इसकी तफसील उज्रात मजीद में स्पष्ट होगी। अर्जी दावे का मद नं0 7 इस तरह पर लिखा है वह हम प्रतिवादीगण जवाबदारान गरीब व कमजोर है हमारी नानी जहूरन बेहरी व अन्धी, गूंगी था तथा उम्र जाप्ता थी इसलिये वादीगण एवं दीगर प्रतिवादीगण ने जन अर्जी से आपसी साजिश कर के हम प्रतिवादीगण जवाबदारान के हक हकूको को नजर अन्दात करके आपसी मुकदमें बाजी का रूप हमें प्रतिवादीगण से पोशिदा रखाकर इख्तियार कर रखा [illegible] कराने पर हमने माननीय न्यायालय में [illegible] पिता मुन्ना सन 1990 में ही गुजर गये तथा हमारी नानी जो एक मजदूर औरत थी। वह सन 1999 में मर गई। तथा हम प्रतिवादीगण उस समय बहुत कम उम्र के थे। कानूनी कार्यवाहीयों में नही समझते है। विनाय मुखासमत का हवाला दिया गया है तथा अन्दर मियाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

का भी हवाला दिया गया है। वह सारे तथ्य कानूनी है। इसलिये इन तथ्यों की जानकारी हम जवाबदारान प्रतिवादीगण को नही है ऐसी सूरत में हमारी आरेसेकोड जवाब वावजह लाइल्मी होने से सम्भव नही है। विवादित आराजीयात हम प्रतिवादीगण के नाना कुल्लड की थी, कुल्लड के पिताकानाम रहीमवक्श था, कुल्लड की पत्नी का नाम जहूरन था जो अन्धी, बहरी व गूंगी व उमरजाप्ता थी। करीब 100 साल की उम्र में उनकी मृत्यु सन 1999 में हुयी। जहूरन की फौतो की बाद विवादित आराजीयात की वारिस काबिज जैतून थी जो कुल्लड से पैदाइशी पुत्री थी जैतुन भी फौत हो चुकी है। जैतून पत्नी मुन्ना को सन्तानों मे हम जवाबदारान प्रतिवादिगण शहनाज, जीनत, सलमा, पुत्रीयान इस समय जीवित है तथा मात्र पुत्र शाहबुददीन पुत्र है एक लडका जाबुददीन फौत हो चुका है इस प्रकार जैतून के वारिसान से हम जवाबदारान प्रतिवादीगण ही है। सरकारी रिकोर्ड में हमारी नानी जहूरन का नाम माजूद है जैतून व मुन्ना भी फौत के बाद हमारी हम उम्र के कारण हमको कई भी रिकार्ड ना मुकदमें बाजी के बारे में नही समझते है। कुल्लड भाई नही था तथा कुल्ल्ड की पत्नी जहूरन थी जहूरन की पुत्री जैतून होने के कारण हम जेतून के वारिसान है तथा जो भी रिकार्ड में हेरा फैरी आज तक हुढ है उसको दुरूस्त कराने के हकदार है तथा इस हेतू हम प्रतिवादीगण जवाबदारान अपनी ओर से काउन्टर क्लेम पेश करते है तथा काउन्टर क्लेम पर कोर्ट फीस भी चस्पा करते है। विवादित खसरा नम्बरन से हम प्रतिवादीगण हो रहे रहे है तथा हम जवाबदारान प्रतिवादीगण का ही कब्जा है तथा मस्जिद भी हमारे बुजुर्गान के नाम से ही है ऐसी सूरत में विवादित आराजीयात में धारा 88 आर0टी0एक्ट के प्रावधानों के तहत हम अप[illegible] घोषणा कराते हुये रिकार्ड को दुरूस्ती [illegible] इन्द्राजात कराने के मुस्तहिक है। प्रार्थीगण जवाबदारान प्रतिवादीगण को उक्त दावा के लम्बित होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र आ0 1 रूल 10सी.पी.सी. पेश करने पर विनाय काउनटर क्लेम दिनांक 17–2–2025 को वाखिलाफ वादीगण विनाय मुखासमत पेदा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

हुई काउन्टर क्लेम अंदर मियाद है। श्रीमान को काउनटर क्लेम सुनवाई का अधिकार है। विवादित प्रकरण में दीगर प्रतिवीदगण भी अत्यन्त ही चालाक किस्म के है उन्होने हमारी अंधी, बहरी, गूगी, नानी जहूरन बेवा कुल्लड से उसके हकको छीनने के लिये कयूम, अब्दुल करीम व दीगर ने कोई कागजात ऐसे तैयार करने बताये जाते है जिनका हवाला कयूम व अब्दुल करीम ने अपने जवाब दावा एवं साक्ष्य में दिया है जो प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है क्योंकि अन्धे बहरे, गूंगे एवं अत्यन्त बुढे असहाय अवस्था को पहूंचीी महिला से वगेर उसके वारिसान के कोई भी दस्तावेज तेयार कराना फोड की तारीफ मे आता है तथा वह दस्तावेज शून्य प्रभावी है। वादीगण वाद खारिज फरमाया जाकर हम प्रतिवादीगण जवाबदारान शाहबूदीन, शहनाज, जीनत, सलमा का प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी के खातेदार काबिज होने की घोषणा फरमाई जावे तथा जो नाजायज निर्माण प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 2 व 4 लगायत 8 ने मौके पर कर लिये है उनका जरिये मैण्डेटरी ओदश हटवाया जावे व दीगर दादरसी जो और मुफीद वहक प्रतिवादीगण जवाबदारान हो प्रदान फरमायी जावें। अतः दावा वादी खारिज किया जावे व काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व में विरचित विवाद्यक नंबर 1 ता 6 के अलावा पत्रावली का अवलोकन करने पर मजीद विवाद्यक काउन्टर क्लेम के संबंध में विरचित किया गया हैः–

1. आया वादी विवादग्रस्त आराजी वांके कस्बा करौली का [illegible]
काश्तकार है।

–[illegible]

2. आया प्रतिवादीगण ने विवादिग्रस्त आराजीयात पर 17.7.79 को जबरन कब्जा करा लिया

–वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

3. आया वादी प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा लेने के अधिकारी है।

—वादी

4. आया दावा वादी बैरून म्याद है रेसजुडीकेटा के सिद्धान्त पर खारिज होने योग्य है।

—प्रतिवादीगण

5. आया दावा वादी काबिल रफ्तार हीं है। —प्रतिवादीगण

6. आया अदालत हाजा को दावा सुनने का अधिकार नहीं है।

—प्रतिवादीगण

मजीद तनकीः—6 (अ) आया प्रतिवादी नंबर 3/1 लगायत 3/4 वादग्रस्त भूमि उनके पिता कुल्लड की खातेदारी की होने से अपने हक में घोषणा खातेदारी कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये मेडेटनरी व्याधेश से निर्माण हटवाने के अधिकारी है।

—प्रतिवादी नंबर 3/1 ता 3/4

7. दादरसी :—

वाद विद्याद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी अब्दुल हमीद पीडब्ल्यू—1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी संवत 2010—13 प्रदर्श—2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श—3, खसरा गिरदावरी संवत 2010—17 प्रदर्श—4 व 5, नजरी नक्शा प्रदर्श—6, वादपत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श—7, नकल वयनामा प्रदर्श—8, पर्चा बदोबस्त प्रदर्श—9 व 10 पेश किये गये ।साक्ष्यवादी समाप्त कर बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी [illegible] करीम डीडब्ल्यू—1 के बयान लेखबद्व कर[illegible] में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्ष्य प्रतिवा[illegible]ण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि करबा करौली में हिण्डौन दरवाजे बाहर दो वीघा 15 विस्वा जमीन मस्जिद विसायतियान को करौली रिसासत के जमाने में राज सरकार से माफी मे मिली थी जिसका साविक खसरा नं0 3872 है। उक्त जमीन में से 5 विश्वा जमीन में मस्जिद व दीगर रिहायशी मकानियात व दुकानात चाह व मजार बना लिये गये वाकी जमीन मस्जिद की ओर से काश्त होती रही। मौजूदा सेटलमेंट में उक्त साविक खसरा नम्बर 3872 के चार खसरा नम्बर हो गये मस्जिद व मकानियत दुकानात खन्डहरा को ख0न0 4967 रकवा 3 विस्वा गैर मु0 आबादी खसरा नं0 4968 गैर मु0 चाह रकवा 1 विस्वा, खसरा नं0 4969 मजार (बारह खम्भा) रकवा 1 विस्वा तथा वाकी काश्ता जमीन का खसर नम्बर 4970 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा तब्दील हो गये। तभी से खसरा नं0 4967 गैर मु0 आबादी में मस्जिद विसायतियान व दीगर मकानियत व दुकान स्थित है तथा खसरा नम्बर 4968 मस्जिद की खातेदारी का चाह है व खसरा नं0 4969 में मजार (बारह खम्भा) स्थित है। उपरोक्त आबादी की जमीन व चाह से लगी हुई खसरा नं0 4970 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा काश्ता जमीन वादी की माफी की है तथा सन् 1963 में माफी रिज्यूम हो जाने के पश्चात् वादी इस भूमि के खातेदार काश्तकार हैव काविज है। प्रतिवादीगण का उक्त खसरा नं0 4970 के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का कोई हक नही है प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के पुरखा व धम्बल ने कौम से विसायति होने से इस भूमि के संबंध में सेटलमेंट विभाग से मिलके मौजूदा सेटलमेंट में कागजात पटवार में अपना नाम गलत दर्ज करा लिया और विलो अधिकार के ता0 16/5/74 वाद पत्र के साथ संलग्न नकशे में अ,ब,स,द से [illegible] इस ख0न0 4970 की भाग की जमीन प्रतिवादी [illegible] पक्ष में व्यय करके बयनामा रजिस्ट्री करा दिया जो नल एण्ड वोइड है। प्रतिवादी नं0 4 लगायत 8 ने उक्त अ, ब, स, द, जमीन मे से कुछ हिस्से में से सल से विला अधिकार लकडी की आरा मशीन लगाती है जिस ता0 15/7/79 को वादी द्वारा हटाने की कहने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:45
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 8 इस अ,ब,स,द भूमि पर अपना हक व कब्जा बताने लग पडे हे तब कागजात पटवार देखने पर व नकल वयनामा लेने पर प्रतिवादीगण की कारसाजी का इल्म हुआ है। इस से हकूक वादी पर विपरीत असर पड रहा है। इसलिये वादी उक्त खसरा नं0 4970 में से अ,ब,स,द भाग पर अपनी खातेदारी घोषित कराने व बेदखल कराने के अधिकारी है और आवश्यक दुरूस्ती कागजात पटवार में कराने के अधिकारी है। विनाय दावा ता0 15/7/79 को अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुआ दावा अन्दर मियाद है व काबिल समाअत अदालत हाजा है। खसरा नं0 4970 के वाकी भाग पर धम्बल ने दीगर व्यक्तियों को अनाधिकार वय करना मालूम हुंआ है जिसका अलग से दावा लाया जा रहा है। खसरा नं0 4970 रकवा वीघा 10 बिस्वा के स्थान पर सेटलमेंट के बाद कागजात पटवार में अनाधिकार खसरा नं0 4970/1 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा कर दिया है जो काबिल दुरूस्ती है। मस्जिद विसायतियान एवं उसकी सभी चल व अचल सम्पत्ति वक्फ और इसके बारे में मस्जिद की ओर से दावा करने का अधिकार सक्षम अधिकारी द्वारा वादी अब्दुल हमीद को किया है। वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में खसरा नं0 4970 (अथवा मौजूदा कागजात पटवार के अनुसार ख0 न0 4970/1) के निस्फ भाग की भूमि (जो वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ,ब,स,द, से अंकित है) पर हकूक खातेदारी वादी घोषित की जावे तथा प्रतिवादी नं0 4 लगायत 8 को बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावे कागजात पटवार में घोषणा के अनुसार दुरूस्ती कराई जावे। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि प्रतिवादी नं. 1, 2 व 4 ता 8 ने उपस्थित होकर जबाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण 1 ता 3 ही आराजी मुतदाविया के खातेदार थे और आराजी मुतदाविया कभी भी माफी मस्जिद च विसायतियान नही रही। अब्दुल हमीद, खां को दायरी दावे का हक हासिल नही है। अब्दुल हमीद खां0 को दायरी दावे का हक हासिल नही है। दावा वादी काजि इखराज है और वादी कोई भी दादरसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

पाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादीया नं0 3 कानूनी रूप से आराजी मुतदावयिा की खातेदारी थी और उसे अपनी जमीन को वेचान करने कर कानूनी अधिकार थी प्रतिवादीया मुरत्त को इस दावे में गैरआराजी फरीक मुकदमा बनाया गया है। खसरा नं0 4970 न तो माफी थी न मस्जिद का उपरोक्त आराजी मे हक है बल्कि प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 माफी जप्त होने से पूर्व हो खातेदार काविज चले आ रहे है प्रतिवादी नं0 4 व 8 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 18/5/74 को प्रतिवादी नं0 1 ता 3 से उकत आराजी का 1/2 हिस्सा खरीदा है और यौम खरीद से वहैसियत खातेदार काश्त कार प्रतिवादी नं0 4 व 8 काविज चले आ रहे है। वादी को कोई विनाय मुखासमत खिलाफ प्रतिवादीगण पैदा नहीं होती है। प्रतिवादीगण के नाम खाता कायम किया गया है वह विल्कुल सही हुआ है और उसको दुरूस्ती को कोई आवश्यकता नही है। अब्दुल हमीद खां की दायरी दावे का कोई भी हक हासिल नही है। दावा वादी काविल इखराज है और वादी कोई भी दादरसी पाने का हकदार नही है। आराजीयात मुतदाविया खसरा नं0 4970 न तो वादी के खाते को दे न वादी को माफी को था बल्कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व धम्बल के मौके कब्जा काश्त को चलो आ रही है। आराजी मुतदाविया ना तो वकफ बोर्ड में दर्ज न मस्जिद को होना किसी सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ है बल्कि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 को खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी अब प्रतिवादी नं0 4 व 8 वहैसियत खतेदार काश्तकार काविज चले आ रहे है। आराजी खसरा नं0 4966 वन्दोवस्त हाल जिसका साविका नं0 3871 था उसमें मस्जिद व हुआ व सराय व दुकान एवं मकान पंच विसायतियान बने हुए है आराजी मुतदाविया खसरा नं0 [illegible] से मस्जिद का कोई भी ताल्लुक नही है। दावा [illegible] मस्जिद का सेकडों सालों से आज तक कभी कोई कब्जा नही [illegible] बल्कि 4970 खसरा न0 के बारे में पहले भी मस्जिद को ओर से मुकदमें चला था। जिसका फैंसला मस्जिद के खिलाफ फरमाया गया जिसको 12 साल का अर्सा हो गया है ऐसी सूरत में रेस जुडोकेटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:45 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

आरिज हैं। प्रतिवादीगण 4 ता 8 बोनाफाईड परचेजर है ऐसीसूरत में वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई दादरसी पाने का अधिकारी नही थे। वादी ने वक्फ बोर्ड को ना तो दावा दायरी से पूर्व कोई नोटिस दिया न कोई इजाजत ना हो वकफ बोर्ड ने दावा पेश करने को कोई स्वीकृति दी हैं। असलियत में दावा दस्तावेज दिनांक 18/5/74 के खारिज कराने के सबंध में है और उसकी खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय की है ऐसी सूरत में अदालत हाजा को दावा हाजा सुनने का कोई हक हासिल नही है। अंत दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया है। हम प्रतिवादीगण शाहबुंदीन वगैरहा जात से बिसायती है तथा ने भूमि हमारे नाना कुल्लड की रही है। राज्य सरकार से कोई माफी नही मिली है। अर्जी दावे का मद नंबर 2 में मस्जिद व दीगर रिहायशी मकानियत, दुकाने मजार, चाह कुआ होना सही है वे सभी हमारें रहे है तथा मजारात भी हमारे बुजुगों को रही है। अर्जी दावा का मद नंबर 6 में जो हाल लिखी है वा वादीगण ने अपनी मन मर्जी से लिखी है। तथा इसमें हम प्रतिवादीगण शाहबुददीन वगैरहा को अलग रखा गया है। तथा हमारा जिकर भी नही किया गया है। इसकी तफसील उज्रात मजीद में स्पष्ट होगी। अर्जी दावे का मद नं0 7 इस तरह पर लिखा है वह हम प्रतिवादीगण जवाबदारान गरीब व कमजोर है हमारी नानी जहूरन बेहरी व अन्धी, गूंगी था तथा उम्र जाप्ता थी इसलिये वादीगण एवं दीगर प्रतिवादीगण ने जन अर्जी से आपसी साजिश कर के हम प्रतिवादीगण जवाबदारान के हक हकूको को नजर अन्दात करके आपसी मुकदमें बाजी का रूप हमें प्रतिवादीगण से पोशिदा रखाकर इख्तियार कर रखा है। पता कराने पर हमने माननीय न्यायालय में बरखास्त पेश की है हमारे पिता मु[illegible] 1990 में ही गुजर गये तथा हमारी नानी जो [illegible] वह सन 1999 में मर गई। तथा हम प्रतिवादीगण उस समय [illegible] कम उम्र के थे। कानूनी कार्यवाहीयों में नही समझते है। विनाय मुखासमत का हवाला दिया गया है तथा अन्दर मियाद का भी हवाला दिया गया है। वह सारे तथ्य कानूनी है। इसलिये इन तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:06:45 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

की जानकारी हम जवाबदारान प्रतिवादीगण को नही है ऐसी सूरत में हमारी आरेसेकोड जवाब वावजह लाइल्मी होने से सम्भव नही है। विवादित आराजीयात हम प्रतिवादीगण के नाना कुल्लड की थी, कुल्लड के पिताकानाम रहीमवक्श था, कुल्लड की पत्नी का नाम जहूरन था जो अन्धी, बहरी व गूंगी व उमरजाप्ता थी। करीब 100 साल की उम्र में उनकी मृत्यु सन 1999 में हुयी। जहूरन की फौती की बाद विवादित आराजीयात की वारिस काबिज जैतून थी जो कुल्लड से पैदाइशी पुत्री थी जैतुन भी फौत हो चुकी है। जैतून पत्नी मुन्ना को सन्तानों मे हम जवाबदारान प्रतिवादिगण शहनाज, जीनत, सलमा, पुत्रीयान इस समय जीवित है तथा मात्र पुत्र शाहबुददीन पुत्र है एक लडका जाबुददीन फौत हो चुका है इस प्रकार जैतून के वारिसान से हम जवाबदारान प्रतिवादीगण ही है। सरकारी रिकोर्ड में हमारी नानी जहूरन का नाम माजूद है जैतून व मुन्ना भी फौत के बाद हमारी हम उम्र के कारण हमको कई भी रिकार्ड ना मुकदमें बाजी के बारे में नही समझते है। कुल्लड भाई नही था तथा कुल्ल्ड की पत्नी जहूरन थी जहूरन की पुत्री जैतून होने के कारण हम जेतून के वारिसान है तथा जो भी रिकार्ड में हेरा फैरी आज तक हुद्र है उसको दुरूस्त कराने के हकदार है तथा इस हेतू हम प्रतिवादीगण जवाबदारान अपनी ओर से काउन्टर क्लेम पेश करते है तथा काउन्टर क्लेम पर कोर्ट फीस भी चस्पा करते है। विवादित खसरा नम्बरन से हम प्रतिवादीगण हो रहे रहे है तथा हम जवाबदारान प्रतिवादीगण का ही कब्जा है तथा मस्जिद भी हमारे बुजुर्गान के नाम से ही है ऐसी सूरत में विवादित आराजीयात में धारा 88 आर0टी0एक्ट के प्रावधानों के तहत हम अपने नाम की घोषणा कराते हुये रिकार्ड को दुरूस्ती कराते हुए अपने [illegible] इन्द्राजात कराने के मुस्तहिक है। प्रार्थीगण [illegible] को उक्त दावा के लम्बित होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र आ0 1 रूल 10सी.पी.सी. पेश करने पर विनाय काउनटर क्लेम दिनांक 17–2–2025 को वाखिलाफ वादीगण विनाय मुखासमत पेदा हुई काउन्टर क्लेम अंदर मियाद है। विवादित प्रकरण में दीगर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवीदगण भी अत्यन्त ही चालाक किस्म के है उन्होने हमारी अंधी, बहरी, गूगी, नानी जहूरन बेवा कुल्लड से उसके हकको छीनने के लिये कयूम, अब्दुल करीम व दीगर ने कोई कागजात ऐसे तैयार करने बताये जाते है जिनका हवाला कयूम व अब्दुल करीम ने अपने जवाब दावा एवं साक्ष्य में दिया है जो प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है क्योंकि अन्धे बहरे, गूंगे एवं अत्यन्त बुढे असहाय अवस्था को पहूंचाी महिला से वगेर उसके वारिसान के कोई भी दस्तावेज तेयार कराना फ्रोड की तारीफ मे आता है तथा वह दस्तावेज शून्य प्रभावी है। वादीगण वाद खारिज फरमाया जाकर हम प्रतिवादीगण जवाबदारान शाहबूदीन, शहनाज, जीनत, सलमा का प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी के खातेदार काबिज होने की घोषणा फरमाई जावे तथा जो नाजायज निर्माण प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 2 व 4 लगायत 8 ने मौके पर कर लिये है उनका जरिये मैण्डेटरी ओदश हटवाया जावे व दीगर दादरसी जो और मुफीद वहक प्रतिवादीगण जवाबदारान हो प्रदान फरमायी जावें। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजो एवं साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण का विवेचन किया गया प्रकरण का तनकी वार विवेचन किया जाना उचित है तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी विवादग्रस्त आराजी वांके कस्बा करौली का खातेदार काशतकार है। इस संबंध में वादी ने जाहीर किया है कि [illegible] बंदोबस्त में यह भूमि खसरा नंबर 3872 थी [illegible] थी और नए बंदोबस्त में इसके 4 नंबर हो गए और ये नए नंबर 4967, 4968, 4969, 4970की भूमि काश्त की है और इसका रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा और बंदोबस्त के अनुसार यह भूमि माफी मस्जिद में नाम भोला में दर्ज है और उपभोक्ता में नाम धम्मल, जफूर व कुल्लड

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:06:45 IST
Reason: SelfAttested

में दर्ज है। यहां तक के तथ्य निर्वीवाद रूप से दोनों पक्षकारान ही स्वीकार करते है और नकल पर्चा प्रदर्श 9 से साबित है और अन्य रिकॉर्ड प्रदर्श–1 मिलान खसरा, प्रदश–2 व और भी रिकॉर्ड से साबित है। माफी resume होने के पश्चात विवादग्रस्त भूमि मस्जिद के नाम से हटाई जाकर recorded sub denant जो कि काबिज काश्तकार था उसके नाम की गई और विवादग्रस्त खसरा नंबर 4970 के रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में से प्रतिवादीगण नंबर 1 से 3 है उन्होंने 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण नंबर 4 से 8 को बचे दी जो कि खातेदार काबिज है। इन तथ्यों को वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही स्वीकार करते है। इन तनकी में विचारणीय बिन्दू है वह यह है कि "माफी resume होने के पश्चात खातेदारी मस्जिद के नाम होनी चाहिए थी या recorded उपभोक्ता व काबिज काश्तकार के" इस संबंध में दोनों पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादी की ओर से लिखित में पर्चा बहस प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल है और प्रतिवादीगण की और से कोई लिखित पर्चा प्रस्तुत नहीं किया जाकर बहस अदालत में ही की गई। वादी का कथन है जैसा कि दावे में लिखा गया है कि भूमि मस्जिद की है इस कारण resume होने पर खातेदारी अधिकार काबिज काश्तकार चाहे वह बंदोबस्त के पर्वू का या कितनी ही वर्षों का हो उसे कोई हक प्राप्त नहीं होता है। वादी ने इस संबंध में कोई कानूनन बताकर सिर्फ प्रशासनिक पत्रों का हवाला दिया या अन्य अदालतों की rulings का सहारा लिया है। अतः कानूनी मुद्दे का जहां तक सवाल है रा. टे. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जिसमें Sec. 19(I) में स्पष्ट प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति बंदोबस्त के समय recorded काश्तकार दर्ज है उसको जागीर रिजेम्शन के बाद सिर्फ जो EXCEPTIONS दिए गए है उनके अलावा सभी को खातेदारी हक प्राप्त हो जाते है और उसी आधार पर प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जहां तक वादी का यह कथन की मूर्ती को जमीन में जब किसी को अधिकार प्राप्त नहीं हो

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:45
Reason: SelfAttested

सकते है तो मस्जिद की भूमि में भी किसी को अधिकार कैसे दिए जा सकते है। इस संबंध में PRIORY COUNCIL के निर्णय जो कि "मस्जिद शहीदगंज बनाम सिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समिति" एआईआर 1938 पेज नंबर 369 व 375 में दिया गया है। उसके अनुसार वक्फ् जायदाद पर adverse possession उसी तरह लागू होता है जैसा कि व्यक्तिगत जायदाद पर। साथ ही Law of adverser possession में भी यह अंकित किया गया है कि मूर्ति और मस्जिद को एक समान नहीं माना सकता है।

"In any event there is no anology between a hindu or any other deity and a unsques a mosque is the house of god but is not a deity. A mosque as a building is also clearly "property" in every sense of the word even if it be the "property of god"

ऐसी सूरत में विवादग्रस्त भूमि जो कि प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे की है उस पर वादी का किसी प्रकार का अधिकार नहीं मानते हुए यह तनकी वादी के विरूद्व प्रतिवादी के पक्ष में तय कर निर्णित की जाती है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस संबंध में वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2010–13 एवं 2014–17 प्रदर्श–4 व 5 एवं नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–2 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1 व बदोबस्त पर्चा प्रदर्श–9 प्रस्तुत किये गये है। जिसमें भूमि वादी के खुदकाश्त में अंकित नहीं है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 15.7.79 को प्रतिवादी द्वारा कब्जा करना वादपत्र में बताया है जबकि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी प्रतिवादीगण का भूमि पर संवत 2010–13 से कब्जा काश्त होना एवं प्रतिवादीगण के साबिक खातेदारान धम्मल वगै0 का कब्जा होना राजस्व रिकॉर्ड से प्रकट होता है। माफी सन् 1963 रिज्यूम होने से पूर्व व वाद में भूमि पर कब्जा काश्त धम्मल वगै0 का होना

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:06:4
Reason: SelfAttested

खसरा गिरदावरी प्रदर्श–4 व 5 से एवं पर्चा सेटलमेंट प्रदर्श–9 साबित होता है। प्रतिवादीगण ने खातेदारान जफरू पुत्र सम्मा, भोलू पुत्र सम्मा एवं मु. जहूरन बेवा कुल्लड कौम मुसलमान निवासी करौली से वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से को 6000/– रुपये में दिनांक 20.5.74 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। वयनामा से पूर्व भूमि पर प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 3 का कब्जा काश्त रहा है एवं वयनामा के बाद से प्रतिवादी नंबर 4 ता 8 का कब्जाकाश्त बदस्तूर रहा है। प्रतिवादीगण का कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.7.79 को भूमि पर कब्जा करने के संबंध में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं कोई स्वतंत्र साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किये है एवं स्वंय वादी अब्दुल हमीद ने अपनी जिरह में पृष्ठ संख्या 3 में बयान दिया है कि आबादी हमसे पहले की बनी है संवत 2013 तक आबादी थी या नहीं मुझे ध्यान नहीं। इस तथ्य से वादीगण का कब्जा संवत 2010 से पूर्व से नहीं होना प्रकट होता है। इस प्रकार वादीगण विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2010–13 एवं 2014–17 प्रदर्श–4 व 5 एवं नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–2 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1 व बदोबस्त पर्चा प्रदर्श–9 प्रस्तुत किये है। वादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में जो दस्तावेज पेश किये है उनसे वादी भूमि के खुदकाश्त में कभी नहीं रही होना प्रकट होता एवं भूमि पर संवत 2010 से वयनामा दिवस त[illegible] प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 को होना वादी द्वारा प्र[illegible] से प्रकट होता है। वादी जब भूमि के अपने आप की [illegible] साबित करने में विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन असफल रहे है। त[illegible] वादी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने के हकदार प्रतीत नहीं होते है। वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण ने भूमि पर किस दिवस को कब्जा किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:45
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वादी ने इस संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नही किये है। बल्कि गवाह पीडब्ल्यू -1 अब्दल हमीद द्वारा जिरह साक्ष्य में आबदी बसी होना स्वीकार किया है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस संबंध में मौखिक साक्ष्य डीडब्ल्यू–1 अब्दुल करीम ने दी है कि भूमि पर खरीद पूर्व जफरू वगै0 के खातेदारी व कब्जे में भूमि रही है और खरीद के बाद से प्रतिवादी नंबर 4 ता 8 का कब्जा है एवं खातेदारी है। वादी द्वारा खरीद के बाद 3 वर्ष की अवधि के पेश किया है। जो म्याद बहार है। जिसके खण्डन में वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा डीडब्ल्यू–1 अब्दुल करीम के बयान लेखबद्व कराये जिसमें वक्फ् संपत्ति वादी द्वारा स्वीकृत होने से दावा हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। स्वंय वादी द्वारा भूमि वक्फ् संपत्ति होना अपनी जिरह में स्वीकार किया है। वक्फ् संपित्त के संबंध में दावा न्यायालय हाजा में काबिल रफ्तार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यिक संख्या 6 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वक्फ् संपत्ति का दावा न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य नहीं है। जिसका कोई खण्डन वादी द्वारा नहीं किया गया है। बल्कि वादी द्वारा अपनी जिरह साक्ष्य में भूमि वक्फ् संपत्ति होना स्वीकार किया है। अतः विवाद्यक संख्या 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:45
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 6 अ मजीद विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस संबंध में पत्रावली में कोई साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी इस विवाद्यक के संबंध में पेश नहीं की है। जबकि प्रतिवादी नंबर 3 जहूरन बेवा कुल्लड द्वारा वादग्रस्त आराजी को दिनांक 19.5.74 को प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के पिता भोलू पुत्र सम्मा द्वारा अब्दुल कलाम, जाहिद अहमद, वाहिद अहमद पिसरान कयूम खां एवं फारूक अहमद पुत्र अब्दुल करीम व कयूम खां पुत्र अहमद खां को 6000/– रूपये में जफरू पुत्र सम्मा के साथ विक्रय कर कब्जा भूमि पर केतागण का करा दिया है। इस प्रकार मुस्लिम विधि के तहत प्रतिवादी नंबर 3/1 लगायत 3/4 विक्रय दिनांक 19.5.74 से पाबंद है एवं मुस्लिम विधि में कोई भूमि पुश्तैनी नहीं होने से प्रतिवादी नंबर 3/1 लगायत 3/4 कोई घोषणा खातेदारी व मेडेटनरी व्याधेश प्राप्त करने के हकदार नहीं है एवं प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने के कारण भी काउन्टर क्लेम चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी नंबर 3/1 लगायत 3/4 इस विवाद्यक को साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 6 अ प्रतिवादी नंबर 3/1 लगायत 3/4 के विरूद्व वादी व प्रतिवादी नंबर 4 लगायत 8 के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 7 दादरसी है। विवाद्यक संख्या 1 ता 6 अ के विवेचन से वादग्रस्त भूमि वादी की खुदकाश्त भूमि होना वादी ने अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं किया है एवं भूमि वक्फ संपत्ति होने से एवं भूमि में मकानियत निर्माण होकर आबादी बस चुकी होना वादी का अपनी साक्ष्य [illegible] है तथा मस्जिद विसातियान की ओर से विसातियान बिरादरी की [illegible] से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण विसातियान समाज के [illegible] नहीं है। वादी को दावा पेश करने का हक नहीं है। संवत 2010–1[illegible] की खसरा गिरदावरी वादी द्वारा पत्रावली में पेश की है। जिससे भी भूमि वादी की खुदकाश्त भूमि साबित नहीं होती है। वादी मस्जिद पंच विसातियान की भूमि खुदकाश्त नहीं होना जमाबंदी संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra[illegible]
Date: 2026.05.04 13:06:45
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

2010–13 प्रकट होती है। धम्मल एवं कुल्लड, जफरू, भोलू, जंगी भूमि के कृषक रहे है जिसका गिरदावरी संवत 2010–17 में अंकन है। वादी को वादकारण संवत 2015 में उत्पन्न हो गया था जिसका सन् 1958 होता है। वादी द्वारा दावा सन् 1979 में प्रस्तुत किया गया है जो 20 साल की अवधि के बाद पेश किया गया है। जिससे वाद वादीगण म्याद बहार होना साबित होता है। मस्जिद न्यायिक वैधानिक व्यक्ति नहीं है। मस्जिद की ओर से प्रस्तुत वाद इस आधार पर भी चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। मस्जिद इवादत का स्थान होता है। मस्जिद देवता नहीं होती है। मस्जिद शाश्वत नाबालिग भी नहीं होती है। मस्जिद को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संपत्ति पर मस्जिद का कब्जा नहीं है। मस्जिद एक भवन होता है और इबादत करने का स्थान होता है। वयनामा रजिस्टर्ड है जिनको निरस्त किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। मस्जिद खसरा नंबर 6970 में ना होकर खसरा नंबर 4966 में है। वयनामाओं के 3 साल बाद वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है। भूमि में मकानात दुकानात बनी हुई है। धम्मल व कुल्लड एवं जफरू वगै0 का मस्जिद का नौकर होने का कोई रिकॉर्ड वादी ने दावे में पेश नहीं किया है। वक्फ् संपत्ति के संबंध में म्याद अधिनियम लागू होता है। इस प्रकार दावा वादी क्षेत्राधिकार विहीन होने एवं म्याद बहार होने से एवं भूमि वादग्रस्त वादी मस्जिद विसातियान की खुदकाश्त भूमि नहीं होने वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई घोषणा खातेदारी एवं दखल प्राप्त करने के हकदार नहीं है। दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नंबर 3/1 लगायत 3/4 खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया [illegible] एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नंबर 3/1 [illegible] किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 30/11/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:06:45 IS
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।